न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।
मुकदमा सं0–656ए/1988

सरकार प्रति सन्तराम आदि।
मु0अ0सं0 251/2018,
धारा–147,323,506 भा0द0सं0
थाना कदौरा, जिला जालौन।

<u>आरोप</u>

मैं, दानवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, आप अभियुक्तगण **सन्तराम, धर्मेन्द्र, मशूदन, बारे लाल, व बल्लू** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँः–

1– यह कि दिनांक 02.12.2018 को समय करीब 06.17 बजे, स्थान मकान वादी ग्राम मुस्ताकनगर थाना कदौरा जिला जालौन में आप लोग एक राय होकर बल्वा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0द0सं0 की धारा–147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को स्वेच्छया उपहति कारित करने के आशय से पत्थर व लाठियों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने भा0द0सं0 की धारा–323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–27.07.2019

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।

अभियुक्तगण को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगणों ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक–27.07.2019

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।